उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या- **483**/2025/1472/41-1-2025-CN-1803058-2024
लखनऊ:दिनांक: 16 मई,2025

शुद्धि-पत्र

जनपदमथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन स्थित कुसुम सरोवर के सौन्दर्यीकरण का कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-480/2025/1348/41-1-2025-001-CN-1803058-2024, दिनांक 09 मई, 2025 के प्रस्तर-4 में अंकित ''लेखा शीर्षक5452801044200 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास''के स्थान पर ''लेखा शीर्षक 5452801044200 उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास''को एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 09मई, 2025 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. अपर आयुक्त (ग्रेड-I), वाणिज्य कर विभाग, आगरा मण्डल, आगरा।
5. उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, मथुरा।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
10. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।